

### सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री फुलू महतो पिता श्री छट्टु महतो, विश्वनाथ महतो पिता श्री नेमा महतो और श्री दिनेश महतो पिता श्री रामफल महतो निवासी ग्राम: कुटकी, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 07; 17 और 15 के अधीन प्लॉट सं. 256, 363, 364, 410, 267(P), 268(P) एवं 210; कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

- क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 07, प्लॉट न. 256, 363, 364 एवं 410 जिसका रकबा 1.785 एकड़, 0.6075 एकड़, 0.4350 एकड़ और 0.3900 एकड़ है जिसे केवला स. 7773 दिनांक 21.05.1973 के माध्यम से बिरसाई महतो पिता स्व. रोगिया महतो के द्वारा चरका गंडु पिता स्व. बंधन गंडु और एतवा गंडु पिता स्व. मोहर गंडु से खरीदगी की गयी थी
- ख. ऊपर उल्लेखित खाता स. 15, प्लॉट न. 210 जिसका रकबा 2.64 एकड़ है जिसे केवला स. 22415 दिनांक 14.11.1972 के माध्यम से बिरसाई महतो पिता स्व. रोगिया महतो और श्री अघनु महतो पिता रोगिया महतो के द्वारा टीमर गंडु पिता बिरसा गंडु से खरीदगी की गयी थी
- ग. ऊपर उल्लेखित खाता स. 07, प्लॉट न. 267 एवं 268 जिसका रकबा 0.60 एकड़ एवं 0.40 एकड़ केवला स. 20064 दिनांक 23.09.1972 के माध्यम से बिरसाई महतो पिता स्व. रोगिया महतो और श्री अघनु महतो पिता रोगिया महतो के द्वारा किशुन गंडु पिता बालचंद गंडु से खरीदगी की गयी थी/-

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 07; 17 और 15 के अधीन प्लॉट सं. 256, 363, 364, 410, 267(P), 268(P) एवं 210; कुल रकबा - 06.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री फुलू महतो पिता श्री छट्टु महतो, विश्वनाथ महतो पिता श्री नेमा महतो और श्री दिनेश महतो पिता श्री रामफल महतो निवासी ग्राम: कुटकी, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

19-10/17  
04/11/21

04/11/21